

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-4/निदे०-पी०सी०आर०(विधि)-02-12-13/2015- 127

केन्द्र प्रायोजित  
योजना  
(50:50)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी  
सारण(छपरा)/बेगूसराय/भागलपुर/मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक - 21.09.18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, (संशोधन) अधिनियम-2015 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन केन्द्रांश में ₹1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत विभागीय पत्रांक-57 दिनांक-04.09.2017 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश में ₹12,11,99,000/- (बारह करोड़ ग्यारह लाख निनानवे हजार रु०) एवं राज्यांश में ₹12,11,99,000/- (बारह करोड़ ग्यारह लाख निनानवे हजार रु०) अर्थात् कुल ₹24,23,98,000/- (चौबीस करोड़ तेईस लाख अठानवे हजार रु०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम विभागीय पत्रांक-60 दिनांक-15.09.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹5,30,50,000/- (पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रु०) एवं राज्यांश में ₹5,30,50,000/- (पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹10,61,00,000/- (दस करोड़ एकसठ लाख रु०) मात्र, विभागीय पत्रांक- 77 दिनांक- 30.10.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹50,00,000/- (पचास लाख रु०) विभागीय पत्रांक-99 दिनांक- 20.11.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹40,00,000/- (चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹40,00,000/- (चालीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹80,00,000/- (अस्सी लाख रु०) एवं विभागीय पत्रांक-106 दिनांक- 28.12.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹2,80,00,000/- (दो करोड़ अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की गई है। तदनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण(छपरा) के पत्रांक-42/क० दिनांक-06.01.18, जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-92 दिनांक-29.01.18, जिला पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक-1881/क० दिनांक-30.12.17 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1009 दिनांक-14.12.17 से माँग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार केन्द्रांश में ₹1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रु०) एवं राज्यांश में ₹1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रु०) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के लिए पटना जिला को आवंटित राशि का व्यय पुलिस महानिरीक्षक(क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

3- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1(नियम-12(4)) में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा, साथ ही अधिनियम/नियम के तहत पीड़ित/पीड़िता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी। अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} के तहत लागूकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।


5- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221 पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 तथा राज्यांश के लिए मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0321- नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0321.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770321 पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 से विकलनीय है।

6- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8- इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिश्वासभाजन,

  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक


ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 129 पटना, दिनांक- 21.02.18  
प्रतिलिपि : 1-महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित उप विकास आयुक्त, संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 129 पटना, दिनांक- 21.02.18  
प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण(छपरा)/बेगूसराय/भागलपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



  
निदेशक

  
निदेशक

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।  
विवरणी-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम -1955 के अधीन अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

(आवंटित राशि का व्यय मुख्य रूप से (i) हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि। (ii) मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान (iii) सहायक राहत अनुदान-पुनर्वास, इत्यादि पर किया जायेगा।)

(राशि रु० लाख में)

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल योग
1	2	3	4	5
1	सारण (छपरा)	25.00	25.00	50.00
2	बेगूसराय	22.50	22.50	45.00
3	मुजफ्फरपुर	40.00	40.00	80.00
4	भागलपुर	22.50	22.50	45.00
	कुल योग	110.00	110.00	220.00

रु० दो करोड़ बीस लाख मात्र

पत्रांक 199 दिनांक 21.02.18 का अनुलग्नक।

Atrocity allotment 2016-17

निदेशक  
19/2/18

Am